यूजीसी के रूपान्तरण का निर्णय और उच्च शिक्षा सुधार

हमारी उच्च शिक्षा की समस्याएं बहुत गहरी हैं जिनके समाधान के लिये राजनैतिक इच्छा शक्ति और दीर्घकालीन प्रयासों की जरूरत है।

डा. हरिवंश चतुर्वेदी,
निदेशक, बिमटेक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के भविष्य को लेकर एक दशक से चली आ रही ऊहापोह पर अब लगता है कि विराम लग गया है। मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने यूजीसी को भंग कर उसके स्थान पर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) बनाने के लिये एक ड्राफ्ट एक्ट का मसौदा जारी किया है। इस के ऊपर 7 जुलाई, 2018 तक शिक्षाविदों, संबन्धित पक्षों एवं आम लोगों की राय मांगी गई है।

मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर का कहना है कि उपरोक्त ड्राफ्ट एक्ट संसद के मानसून सत्र में पेश किया जायेगा। उनका यह भी कहना है कि यूजीसी को भंग करने और एचईसीआई बनाने का फैसला मोदी सरकार की ''न्यूनतम शासन और अधिकतम सुशासन'' की सोच पर आधारित है। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये प्रैसनोट में कहा गया है कि नये आयोग को उच्च शिक्षा के लिये विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली ग्रांट को जारी करने का अधिकार नहीं होगा। उच्चशिक्षा के नियमन में पारदर्शिता बढ़ा कर इंस्पैक्टर राज को खत्म किया जायेगा।

प्रस्तावित एचईसीआई के ड्राफ्ट एक्ट में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जिम्मेदारी नई नियामक एजेंसी को सोंपी गई है। एचईसीआई को खराब गुणवत्ता वाली संस्थाओं और फर्जी संस्थाओं को बंद करने का अधिकार भी दिया गया है। आयोग नये संस्थान खोलने और बंद करने के मानक भी तैयार करेगा। ड्राफ्ट एक्ट में नये आयोग के आदेशों की अवहेलना करने वाली संस्था के सीईओ और प्रबंधन को 3 सालों की सजा देने का भी प्रावधान किया गया है।

देश के शिक्षाविदों के दिमाग में एचईसीआई के ड्राफ्ट एक्ट को लेकर अनेक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्या मोदी सरकार का नारा 'न्यूनतम शासन ओर अधिकतम सुशासन'' नवीन एजेंसी पूरा कर पायेगी? क्या त्रुटि करने वाली संस्थाओं को दण्डित करने के लिये

बढ़ाये जा रहे अधिकारों से फिर से उच्च शिक्षा में ''इंस्पैक्टर राज'' के दिन कहीं फिर से नहीं लौट आयेंगे? अभी तक यूजीसी के पास अच्छी गुणवत्ता वाली यूनिवर्सिटियों और कालेजों को ज्यादा वित्तीय अनुदान देकर प्रोत्साहित करने का अधिकार था। नये ड्राफ्ट एक्ट में यह समूचा अधिकार मानव संसाधन मंत्रालय के पास चले जाने के बाद क्या यूजीसी सिर्फ ''ज्ञान दाता'' बन कर नहीं रह जायेगी? यूजीसी के 350 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवाओं को नई नियामक संस्था में उनकी मौजूदा सेवा शर्तों पर जारी रखा जायेगा? क्या नियामक संस्था का मात्र नाम बदलने से इन कर्मचारियों की कार्यशैली रातों रात बदल जायगी?

भारत में 13 रेगुलेटरी संस्थाएं विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का नियमन करती हैं। इनमें यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। भारत मे उच्चशिक्षा का पिछले दो दशकों में बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। विश्वस्तर पर चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि कॉलेज व यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई–लिखाई कर रहे हैं। भारत की 895 यूनिवर्सिटियों व 42338 कॉलेजो में वर्तमान में 3.57 करोड़ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। संपूर्ण विश्व में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले 12 करोड़ विद्यार्थी हैं जिनका एक चौथाई हिस्सा भारत में है। विद्यार्थियों की इस विशाल तादाद का अगले दशकों में तेजी से बढ़ना संभावित है क्योंकि अभी सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) सिर्फ 25.2 प्रतिशत है। वर्ष 2030 तक इसके 50 प्रतिशत होने की प्रबल संभावना रहेगी।

पिछले एक दशक से यूजीसी अनेक विवादों और आलोचनाओं का केन्द्र रही है। भारतीय संसद में पारित बिल के द्वारा इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मानकों का निर्धारण करना और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करना था। भारत के संसदीय लोकतंत्र और यूजीसी जैसी नियामक संस्था की परिकल्पना हमारे जिन संविधान निर्माताओं द्वारा की गई थी, वे ग्रेट ब्रिटेन के वेस्टमिन्स्टर मॉडल और उसकी संस्थागत संरचना से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यूजीसी की परिकल्पना ब्रिटिश की यूजीसी के आधार पर की गई जो 1919 में वित्त मंत्रालय के आधीन थी और उसका मुख्य कार्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों व कालेजों को अनुदान वितरित करना था।

1998 में ब्रिटेन ने यूजीसी को खत्म करके दो नई रेग्यूलेटरी संस्थाएं स्थापित कर दी जिनका नाम हायर ऐजुकेशन फंडिंग काउंसिल और क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी है।

जब 1956 में यूजीसी की स्थापना की गई थी तो उसके आधीन बमुश्किल 20 विश्वविद्यालय, 500 कॉलेज, 15 हजार प्राध्यापक और लगभग दो लाख विद्यार्थी थे। यूजीसी और उसका 62 वर्ष पुराना ढ़ांचा 21वीं सदी के भारत की उच्चशिक्षा से जुड़ी जरूरतों का सामना नहीं कर पर रहा है। अभी 18 से 24 वर्ष के बमुश्किल 25 प्रतिशत युवा ही हमारी युनिवर्सिटियों और कॉलेजों में दाखिला ले पाते हैं। अगर हम जीईआर को 50 प्रतिशत कर पाने की कल्पना करें तो आने वाले दशकों मे 4 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त युवाओं की शिक्षा के इंतजाम करने होंगे। क्या प्रस्तावित एचईसीई इस लक्ष्य को पूरा कर पायेगा?

यूजीसी के साथ एक बड़ा विरोधाभास यह रहा है कि इसका सांगठनिक ढ़ांचा सरकारी यूनिवर्सिटियों व कॉलेजों को वित्तीय अनुदान देने के लिये बनाया गया था। किन्तु आज की परिस्थितियों में इसके सामने बड़ी चुनौती है कि 895 यूनिवर्सिटियों व 42338 कॉलेजों में 3 करोड़ भारतीय युवाओं को दी जा रही उच्चशिक्षा की क्वालिटी व मानकों को कैसे सुनिश्चित करें? अक्सर भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा यूजीसी के माध्यम से वितरित वित्तीय अनुदान का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और अनुदान वह लौटा दिया जाता हैं। अनुदान के वितरण में पक्षपात के मामले भी सुनने में आते रहे हैं।

संघीय ढांचे के अन्तर्गत केन्द्र व राज्यों के सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं नें ऐसी नियामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहते हुए स्वायत्तता एवं पारदर्शिता के साथ काम करें। रिजर्व बैंक, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट एवं भारतीय सेना इसके उदाहरण हैं। कालांतर में सेबी, इरडा, ट्राई जैसी रेग्यूलेटरी संस्थाएं बनाई गई जिनको क्रमशः शेयर बाजार, इंश्योरेंस सैक्टर तथा टेलीकॉम सैक्टर में रेग्यूलेटरी भूमिका निर्वाह करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अपने प्रांरम्भिक काल में यूजीसी चेयरमैन का पद देश के जाने माने शिक्षाविदों को दिया गया था जैसे डा. शांति स्वरूप भटनागर, प्रो. हुमायूं कबीर, डा. सी.डी देशमुख आदि। कालांतर में डा. डी.एस. कोठारी, प्रो. माधुरी शाह, प्रो. जी. राम रेड्डी, प्रो. यशपाल एवं प्रो. अरूण निगवेकर जैसे शिक्षाविद भी इसके चेयरमैन बने।

भारत की उच्च शिक्षा में सुधारों की चर्चा का एक प्रमुख केन्द्र बिन्दु नियामक एजेंसीयों की बहुलता से पैदा होने वाली जटिलताएँ रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा (1986एवं 1992) में एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा काउंसिल बनाने का सुझाव दिया गया था। एक दशक तक यह सिफारिश ठंडे बस्ते में पड़ी रही। सैम पित्रोडा की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2007 में फिर से इस मुद्दे को उठाया और उच्च शिक्षा के लिये एक स्वयंशासी नियामक एजेंसी (आईआरएएचई) स्थापित करने का सुझाव दिया। प्रो. यशपाल कमेटी ने भी 2009 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में एक दर्जन नियामक संस्थाओं को विलीन करके उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय आयोग बनाने की राय दी थी। एक तरह से यूजीसी की जगह एक प्रभावशाली नियामक संस्था बनाने की चर्चा नई नही, वरन् 30 वर्षों से चली आ रही है।

2019 के आमचुनावों की पूर्व–बेला में यूजीसी के स्थान पर एचईसीआई के गठन का फैसला मौजूदा एनडीए सरकार के लिये राजनैतिक दृष्टि से लाभदायक है। लगता है यह ड्राफ्ट एक्ट संसद के मानसून सत्र में पारित भी हो जायेगा। किन्तु हमारी उच्च शिक्षा की समस्याएं बहुत गहरी हैं जिनके समाधान के लिये राजनैतिक इच्छाशक्ति और दीर्घकालीन प्रयासों की जरूरत है। उच्च शिक्षा के अवसर निश्चित रूप से बढ़े हैं, किन्तु अच्छी क्वालिटी की उच्च शिक्षा अभी तक सिर्फ 20–25 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही मिल पाती है। भारत की उच्च शिक्षा की ज्यादातर समस्याएं वांछित वित्तीय साधनों की कमी और उच्च शिक्षा संस्थानों को समुचित स्वायत्तता ना मिलने के कारण पैदा हुई हैं। अभी भी उच्च शिक्षा पर होने वाला सरकारी व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 1.5 प्रतिशत से भी कम रहता है। एक और प्रमुख समस्या है कि कालेजों और विश्वविद्यालयों के उच्च प्रबंधन में बैठे लोग राजनीतिज्ञों की ज्यादा सुनते है और शिक्षाविदों की कम।

भारत की उच्च शिक्षा की हालत एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण मंदिर की तरह है जिसका नये सिरे से निर्माण करना अब जरूरी हो गया है। मंदिर की दीवारों पर रंगरोगन करने और उसके शिखर पर लगे तोरण–पताकाओं को बदलने से कोई बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है।